

156 (30)

निगां 5311/2018 (सतना) भूवां

न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवा मण्ड्रं

निगरानी प्रकरण क्रमांक



हनुमान प्रसाद शुक्ला उम्र वर्ष तनय स्व० श्यामलेराम शुक्ला

पेशा खेती, निवासी ग्राम किटहा, तहसील विरसिंहपुर, जिला

सतना मण्ड्रं

आवेदक/निगराकार

नाम

1- मागवत प्रसाद शुक्ला पिता स्व० रामाधार शुक्ला

निवासी ग्राम किटहा, तहसील विरसिंहपुर, जिला सतना

2- ज्ञान प्रसाद पाण्डेय पिता स्व० रुद्र प्रसाद पाण्डेय

3- कैदार प्रसाद पाण्डेय पिता स्व० रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय

4- विद्याधर पाण्डेय पिता स्व० रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय सनी

सनी निवासी गण ग्राम किटहा, तहसील विरसिंहपुर, जिला

सतना मण्ड्रं

भैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर

आयुक्तमहोदय रीवा संभाग रीवा के

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 847/ अपील/16-17

मेपारिह आदेशदिनांक 12-7-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मण्ड्रं मुराजस्व

संहितासन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

1- यहकि आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय विधि स्वम प्रक्रिया के

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.


आवेदक की ओर से
श्री विजय कुमार मिश्रा
सतना पेशा 31.8.18

31.8.18
कोर्ट
सतना मण्ड्रं प. ५० मुराजस्व
(सर्किट कोर्ट) ग्वा

30
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

करण क्रमांक 5311/2018/20 जिला- राजसूत

हेनुमान प्रसाद विरुद्ध मामवन प्रसाद

(1)	(2)	(3)
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>विजय कुमार सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक <u>847/3/2018/16/13</u> में पारित आदेश दिनांक <u>12.7.18</u> के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक <u>21.08.2019</u> प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	